नॉर्दर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
(मिनीरत्नकंपनी)
(कोलइण्डियालिमिटेडकीअनुषंगीकंपनी)

एन सी एल
NCL

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager
CIN- U10102MP1985GO1003160
An ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO45001 Certified Company
बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220
Phone :05446-276279 (O), 267280 (R) e-mail :cgmbin.ncl@coalindia.in Website :www.nclcil.in

क्र: बीना/ पर्या०/ उ०प्र०/ वन/ 2024/ 35

दिनांक: 07.10.2024

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट

विषय:- जनपद- सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे० गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. प्रस्ताव संख्या :- FP/UP/MIN/24551/2017
2. आपका पत्रांक - 1014/ रेनूकूट/ 15-108, दिनांक - सितम्बर 21, 2023
3. आपका पत्रांक - 3906/ रेनूकूट/ 15-108, दिनांक - अप्रैल 10, 2024
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 सितम्बर, 2024

महोदय,

उपरोक्त विषय वस्तु के संबंध में यह अवगत कराया जा रहा है कि आपके कार्यालय के पत्र दिनांक अप्रैल 10, 2024 द्वारा गैर वन भूमि से संबन्धित दो बिन्दुओं में जानकारी चाही गयी थी। इस संबंध में बीना परियोजना द्वारा माननीय जिलाधिकारी, सोनभद्र को दिनांक 31.05.2023, 29.06.2023 को पत्र लिखे गए जिसमे गैर वन भूमि Compensatory Afforestation हेतु प्रदान किए जाने की मांग रखी गई।

उक्त पत्रों के जवाब में माननीय जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा उपजिलाधिकारी रॉबर्ट्सगंज, दुद्धी, घोरावल, एवं ओबरा को दिनांक 25.07.2023 एवं 09.11.2023 को पत्र लिखे गए जिसमे बीना परियोजना हेतु गैर वनभूमि को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।

इसके उपरांत दिनांक 20.01.2024 को बीना परियोजना द्वारा माननीय जिलाधिकारी, सोनभद्र को पुनः एक पत्र लिखा गया जिसमे वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिमियम, 2023 की गाइडलाइंस के अनुसार गैर वन भूमि Compensatory Afforestation हेतु प्रदान किए जाने की मांग रखी गई। इसके अतिरिक्त परियोजना के अधिकारियों द्वारा Compensatory Afforestation हेतु भूमि की शीघ्र पहचान के लिए सोनभद्र जिले के सभी एसडीएम के साथ व्यक्तिगत बैठक और टेलीफोन के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है। परंतु परियोजना द्वारा सतत प्रयासों के बावजूद इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्त विषय के संबंध में यह भी अवगत कराया जा रहा है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 सितम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे एवं पांचवे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा गया है:

"परंतु यह कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है, जिसका विस्तार, मामला दर मामला आधार पर, केंद्रीय सरकार की एजेंसियो या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के मामले में, प्रस्तावित क्षेत्र के दुगुने क्षेत्र के बराबर हो।"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि Central Public Sector Undertakings के लिए अवक्रमित वन भूमि (degraded forest) क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) करवाने का प्रावधान उपलब्ध है। एन०सी०एल० एक Central PSU है तथा इस प्रस्ताव (FP/UP/MIN/24551/2017) हेतु बीना परियोजना के लिए 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम उपलब्ध है।

अत: आपसे अनुरोध है कि बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम को सहमति देते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद

भवदीय

09/10/24

क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
बीना परियोजना,
एन०सी०एल०

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (पर्या० एवं वन), एन०सी०एल०, सिंगरौली

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनीरत्न कंपनी)
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

एन सी एल
NCL

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager

CIN- U10102MP1985GOI003160
An ISO: 9001, ISO: 14001 & ISO: 45001 Certified Company
पोस्ट- बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.)पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220
Phone :05446-276279 (O), 267280 (R) **Fax** :05446-276274, 07805-25610 **e-mail** :cgmbin.ncl@coalindia.in **Website** :www.nclcil.in

बीना/उ०प्र० वन/एफ०सी०/2023/08 दिनांक: 31.05.2023

सेवा में,
जिला अधिकारी,
भंडार खुर्द, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश 231216

विषय:- जनपद- सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे० गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र संख्या 3833 /रेनुकूट/15-108 दिनांक 17 मई 2023 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना द्वारा बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० भूमि के FC (Forest Clearance) Stage-1 लिए प्रस्ताव संख्या FP/UP/MIN/24551/2017 द्वारा आवेदन किया गया था। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र दिनांक 29.03.2023 (प्रति संलग्न) व मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 31.03.2023 द्वारा दो बिंदुओ से संबन्धित निम्न सूचना/ अभिलेखो की मांग की गयी थी:-

बीना परियोजना द्वारा विषयक प्रकरण में मांगी गयी वांछित सूचना टेबुलर फार्म में निम्न अनुसार है।

क्र०	बिन्दुवार मांगी गयी जानकारी
1.	No Non- Forest land available in the State for raising Compensatory Afforestation. This is to be complied by State Government.
2.	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chotte/ bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of State Forest Department is available for raising compensatory Afforestation.

अतः उक्त पत्र के संबंध में आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित वन भूमि के दोगुने अर्थात 61 हे० गैर वन भूमि अथवा 61 हे० Revenue Land/Zudupi Jungle/Chhote/Bade/Jharka jungle जो कि राज्य वन विभाग के

प्रबंधन और/या प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं है, बीना परियोजना, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिसके फलस्वरूप बीना परियोजना को FC Stage - 1 प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

सधन्यवाद,

भवदीय

क्षेत्रीय महाप्रबंधक

बीना परियोजना

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. प्रभागीय वनधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
2. निदेशक (तक०/यो० एवं परि०), एन०सी०एल०, सिंगरौली
3. महाप्रबंधक (वन एवं पर्या०), एन०सी०एल०, सिंगरौली
4. स्टाफ अधिकारी (खनन), बीना परियोजना, एन०सी०एल०

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनीरत्न कंपनी)
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

एन सी एल NCL

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager

CIN- U10102MP1985GOI003160
An ISO: 9001, ISO: 14001 & ISO: 45001 Certified Company
पोस्ट- बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.)पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220
Phone :05446-276279 (O), 267280 (R) Fax :05446-276274, 07805-25610 e-mail :cgmbin.ncl@coalindia.in Website :www.nclcil.in

बीना/उ०प्र० वन/एफ़०सी०/2023/10 दिनांक: 29.06.2023

अनुस्मारक-1

सेवा में,
जिला अधिकारी,
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश- 231216

विषय:- जनपद- सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे० गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:- बीना/उ०प्र० वन/एफ़०सी०/2023/08 दिनांक 31.05.2023।

महोदय,

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना द्वारा बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० भूमि के FC (Forest Clearance) Stage-1 लिए प्रस्ताव संख्या FP/UP/MIN/24551/2017 द्वारा आवेदन किया गया था। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र दिनांक 29.03.2023 व मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 31.03.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा दो बिंदुओ से संबन्धित निम्न सूचना/ अभिलेखो की मांग की गयी थी:-

क्र०	बिन्दुवार मांगी गयी जानकारी
1.	No Non- Forest land available in the State for raising Compensatory Afforestation. This is to be complied by State Government.
2.	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chotte/ bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of State Forest Department is available for raising compensatory Afforestation.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया था कि प्रस्तावित वन भूमि के दोगुने अर्थात 61 हे० गैर वन भूमि अथवा 61 हे० Revenue Land/Zudupi Jungle/Chhote/Bade/Jharka

jungle जो कि राज्य वन विभाग के प्रबंधन और/ या प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं है, बीना परियोजना, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस संबंध में जानकारी अभी तक वांछित है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि सक्षम अधिकारी को दिशा निर्देश देते हुए कृपया 61 हे० गैर वन भूमि बीना परियोजना को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिसके फलस्वरूप बीना परियोजना FC Stage - 1 प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

स: धन्यवाद,

भवदीय

29/08/23

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
बीना परियोजना

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. प्रभागीय वनधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
2. निदेशक (तक०/यो० एवं परि०), एन०सी०एल०, सिंगरौली
3. महाप्रबंधक (वन एवं पर्या०), एन०सी०एल०, सिंगरौली
4. स्टाफ अधिकारी (खनन), बीना परियोजना, एन०सी०एल०

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनीरत्न कंपनी)
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager

CIN- U10102MP1985GOI003160
An ISO: 9001, ISO: 14001 & ISO: 45001 Certified Company
पोस्ट- बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.)पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220
Phone :05446-276279 (O), 267280 (R) **Fax** :05446-276274, 07805-25610 **e-mail** :[illegible] **Website** :www.nclcil.in

बीना/उ०प्र० वन/एफ०सी०/2023/08 दिनाक: 31.05.2023

सेवा में,
जिला अधिकारी,
भंडार खुर्द, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश 231216

विषय:- जनपद- सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे० गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र संख्या 3833 /रेनुकूट/15-108 दिनांक 17 मई 2023 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना द्वारा बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० भूमि के FC (Forest Clearance) Stage-1 लिए प्रस्ताव सख्या FP/UP/MIN/24551/2017 द्वारा आवेदन किया गया था। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय के संदर्भित पत्र दिनांक 29.03.2023 (प्रति संलग्न) व मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 31.03.2023 द्वारा दो बिंदुओ से संबन्धित निम्न सूचना/ अभिलेखो की मांग की गयी थी:-

बीना परियोजना द्वारा विषयक प्रकरण में मांगी गयी वांछित सूचना टेबुलर फार्म में निम्न अनुसार है।

क्र०	बिन्दुवार मांगी गयी जानकारी
1.	No Non- Forest land available in the State for raising Compensatory Afforestation. This is to be complied by State Government.
2.	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chotte/ bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of State Forest Department is available for raising compensatory Afforestation.

अतः उक्त पत्र के संबंध में आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित वन भूमि के दोगुने अर्थात 61 हे० गैर वन भूमि अथवा 61 हे० Revenue Land/Zudupi Jungle/Chhote/Bade/Jharka jungle जो कि राज्य वन विभाग के

भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0 | 991 | दिनॉक : 29.03.2023

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Min/24551/2017

विषय : जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किए जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन के सम्बंध में।

सन्दर्भ:– मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 का पत्रांकः 2548/11–सी–FP/UP/Min/24551/2017, दिनांक 09.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 304/81–2–2022–800(106)/2021, लखनऊ, दिनांक–10.03.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

कार्यालय के पत्र दिनांक 12.04.2022 द्वारा प्रकरण में सूचनाए मांगी गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुयी। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके–

Stage Govt. should provide following certificates-

1. No non-forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation.
2. No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest Department is available for raising Compensatory Afforestation.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
4. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

29.03.2023

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)

पत्रांक–4284 /रेनुकूट/ 15–108 दिनांक,रेनुकूट,जून, 21, 2023

सेवा में,

महाप्रबन्धक
नार्दन कोल फील्डस लि0
बीना–सोनभद्र ।

विषय:– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/MIN/24551/2017)** ।

संदर्भः– 1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/25 दिनांक– 12.04.2022
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2947/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 13.04.2022
3–इस कार्यालय का पत्रांक– 3298/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 20.04.2022
4–आपका पत्र दिनांक– 07 दिनांक– 13.07.2022
5–इस कार्यालय का पत्रांक– 299/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.07.2022
6–आपका पत्र संख्या– 19 दिनांक– 29.09.2022
7–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 1341/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 18.10.2022
8–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 1676/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 14.11.2022
9–इस कार्यालय का पत्रांक– 1594/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 15.11.2022
10–आपका पत्र संख्या– 27 दिनांक– 25.11.2022
11–इस कार्यालय का पत्रांक– 2201/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 04.01.2023
12–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2548/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 09.02.2023
13–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023
14–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 3150/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक–31.03.2023
15–इस कार्यालय का पत्रांक–3339/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 01.04.2023
16–आपका पत्रांक– बीना/उ0प्र0वन/एफ0सी0/2023/6 दिनांक– 25.04.2023
17–इस कार्यालय का पत्रांक– 3833/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 17.05.2023
18–आपका पत्रांक–09 दिनांक– 31.05.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 28 मार्च 2019 द्वारा जारी हैण्डबुक /गाईडलाइन्स के चैप्टर 2 (2.3) के अनुसार दोगूने गैर वन भूमि का चयन करते हुए प्रभाग के संदर्भित पत्र दिनांक– 17.05.2023 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

622
24/6/23

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

SO(m)
ND(Env)
24/6/23

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

पत्रांक–2556 /भूमि व्यवस्था/एनसीएल/गैर वन भूमि/2023 दिनांक जुलाई 25, 2023

विषयः– जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोलफील्ड्स लि0 की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे0 आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे0 गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपजिलाधिकारी,
राबर्ट्सगंज/दुद्धी/घोरावल/ओबरा।

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, बीना परियोजना बीना सोनभद्र के पत्र संख्या बीना/प्र0प्र0वन/एफ0सी0/2023/10 दिनांक 29.06.2023 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा नार्दन कोलफील्ड्स लि0 की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे0 आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे0 गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

शासनादेश संख्या–32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03जून 2016 द्वारा राज्य सरकार के सेवारत विभागों को निःशुल्क भूमि दिये जाने एवं भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विणिज्यिक विभागों हेतु सशुल्क भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। नार्दन कोलफील्ड्स लि0 भारत सरकार की वाणिज्यिक विभाग की श्रेणी के अन्तर्गत है, उनके द्वारा गांव सभा की भूमि निःशुल्क दिये जाने के संबंध में कोई भी आदेश/निर्देश उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः शासनादेश दिनांक 03जून 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार बीना परियोजना को बीना ककरी परियोजना हेतु अपने–अपने तहसील क्षेत्र में कुल 61 हे0 गैर वन भूमि का चिन्हांकन कराते हुए आख्या तीन दिवस के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः महाप्रबंधक, बीना परियोजना सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि भूमि से संबंधित किसी भिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उप जिलाधिकारीगण से सम्पर्क कर भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

अनुस्मारक पत्र

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

पत्रांक– 19 /भूमि व्यवस्था/एनसीएल/गैर वन भूमि/2023 दिनांक नवम्बर 5 , 2023

विषयः– जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोलफील्ड्स लि0 की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे0 आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे0 गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपजिलाधिकारी,
राबर्ट्सगंज/दुद्धी/घोरावल/ओबरा।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र 2558/भूमि व्यवस्था/एनसीएल/गैर व भूमि/2023 दिनांक 25 जुलाई 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, बीना परियोजना बीना सोनभद्र के पत्र संख्या बीना/प्र0प्र0वन/एफ0सी0/2023/10 दिनांक 23.06.2023 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए नार्दन कोलफील्ड्स लि0 की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे0 आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे0 गैर वन भूमि चिन्हित कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है जो अभी तक अप्राप्त है।

अतः शासनादेश दिनांक 03जून 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार बीना परियोजना को बीना ककरी परियोजना हेतु अपने–अपने तहसील क्षेत्र में कुल 61 हे0 गैर वन भूमि का चिन्हांकन कराते हुए आख्या तीन दिवस के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः महाप्रबंधक, बीना परियोजना सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि भूमि से संबंधित किसी भिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उप जिलाधिकारीगण से सम्पर्क कर भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

1696
15/11/23

अपर जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

SO(M)
NO(Env)

16.11.2023

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनीरत्न कंपनी)
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

एन सी एल
NCL

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager

CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & ISO: 45001 Certified Company

पोस्ट- बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.)पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220

Phone :05446-276279 (O), 267280 (R) Fax :05446-276274, 07805-25610 e-mail :cgmbin.ncl@coalindia.in Website :www.nclcil.in

Bina/UP Forest/2024/11

Dated 20/01/2024

To,
District Magistrate
Sonebhadra, Uttar Pradesh

Subject: Requirement of 30.5 ha non forest land for forest clearance proposal.

Dear Sir

NCL Bina project has applied for diversion of 30.5 ha forest land for coal mining vide FC application no. FP/UP/MIN/24551/2017. In this regard two point query has been raised by IRO Lucknow, MoEF&CC office (copy enclosed) which is as follows:-

S. No	Query raised
1.	No Non- Forest land available in the State for raising Compensatory Afforestation. This is to be complied by State Government.
2.	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chotte/ bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of State Forest Department is available for raising compensatory Afforestation.

As per new guideline of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 issued dated 2023, the equivalent land of required for CA if the land for which Adhiniyam are not applicable (i.e non forest land). Therefore, it is requested kindly instruct the concerned department for providing 30.5 ha of non-forest land to be utilized for copmpensatory afforestation for the above forest proposal.

Yours faithfully

Area General Manager
Bina Project